



# THE PROCESS OF FILING FOR COMPENSATION FOR DEATH\* OF LIVESTOCK DUE TO ATTACK BY WILD ANIMAL

## STEP 1: INFORM

INFORM THE FOREST GUARD OR RANGE OFFICER IN CHARGE OF THE BEAT AND LOCAL VETERINARY DOCTOR.  
IF VETERINARY DOCTOR IS NOT AVAILABLE, INFORM THE PRADHAN OF THE VILLAGE.

## STEP 2: PHOTO

TAKE A PHOTO OF THE LIVESTOCK THAT HAS DIED, WITH ITS OWNER.  
PREFERABLY IN THE PRESENCE OF FOREST GUARD, VETERINARY DOCTOR AND THE PRADHAN

## STEP 3: CERTIFICATE

GET THE DEATH CERTIFICATE SIGNED BY THE VETERINARY DOCTOR/ PRADHAN/ UP PRADHAN/ FOREST GUARD OR RANGE OFFICER

## STEP 4: APPLICATION

FILL THE FOREST DEPARTMENT'S APPLICATION FOR COMPENSATION. GET A DATE STAMP ON IT.

## STEP 5: SUBMIT

SUBMIT THESE DOCUMENTS TO THE FOREST GUARD:

- PHOTO OF THE KILLED LIVESTOCK WITH ITS OWNER
- DEATH CERTIFICATE
- FOREST DEPARTMENT'S APPLICATION

## STEP 6 : KEEP A COPY

KEEP A COPY OR PHOTO OF ALL DOCUMENTS BEFORE SUBMITTING AS PROOF OF SUBMISSION.

IF THE BODY OF THE DECEASED ANIMAL IS NOT AVAILABLE FOR INSPECTION AND AS PROOF COMPENSATION CANNOT BE PROVIDED ACCORDING TO THE FOREST DEPARTMENT.

\*IN CASE OF DEATH DUE TO INJURY, A DIFFERENT FORM IS TO BE FILLED AND THE SAME STEPS HAVE TO BE FOLLOWED. FOR THE FORM OR MORE DETAILS CONTACT THE NUMBER GIVEN BELOW.

## RELIEF RATES

| IN CASE OF LOSS OF:                              | RELIEF:      |
|--------------------------------------------------|--------------|
| • HORSE, MULE, BUFFALO, OX, YAK, CAMEL           | RS. 30,000/- |
| • JERSEY COW AND CROSSBREED                      | RS. 15,000/- |
| • LOCAL COW, CHURU, CHURI, DONKEY, PASHMINA GOAT | RS. 6000/-   |
| • SHEEP, GOAT, PIG                               | RS. 3000/-   |
| • ANY YOUNG ANIMAL                               | RS. 1500/-   |

## DETAILS OF THE CLAIM

**WHO?**  
THE OWNER OF DECEASED LIVESTOCK OR ANY FAMILY MEMBER CAN FILE THE CLAIM.

**TO WHOM?**  
THE FOREST GAURD (FOREST DEPARTMENT) WITH THE HELP OF PRADHAN AND VETERINARY DOCTOR

**WHEN?**  
FIRST REPORT WITHIN 7 DAYS  
CLAIM FILING WITHIN 30 DAYS (OF THE INCIDENT)

**WHERE?**  
CLAIM TO BE FILED AT THE LOCATION OF THE INCIDENT OR WHERE THE OWNER STAYS.

CLAIMS RELATED TO LIVESTOCK DEPREDAATION BY WILD ANIMALS ONLY WILL BE ACCEPTED BY THE FOREST DEPARTMENT. DEATH DUE TO DISEASE OR OTHER REASONS COVERED BY REVENUE DEPARTMENT.

FOR MORE DETAILS, CONTACT : +91 76500 02777



nature  
conservation  
foundation



## मवेशियों का शिकार होने पे

### वन विभाग से राहत राशि पाने संबंधी प्रक्रिया

#### कदम 1: सूचित करें

फौरन बीट के फॉरेस्ट गार्ड या रेंज ऑफिसर और स्थानीय पशु चिकित्सक को सूचित करें।  
अगर पशु चिकित्सक उपलब्ध न हो, तो ग्राम प्रधान को भी सूचित किया जा सकता है।

#### कदम 2: तस्वीर

मृत मवेशियों की तस्वीर उसके मालिक के साथ ली जाए।  
बेहतर होगा कि ये तस्वीर फॉरेस्ट गार्ड, पशु चिकित्सक और ग्राम प्रधान की उपस्थिति में ली जाए।

#### कदम 3: प्रमाण पत्र

मृत्यु प्रमाण पत्र पर पशु चिकित्सक / प्रधान / उप प्रधान / फॉरेस्ट गार्ड या रेंज ऑफिसर के दस्तखत कराए जाएं।

#### कदम 4: आवेदन

वन विभाग को आवेदन सौंपा जाए।  
आवेदन पर तिथि वाली मुहर लगवाई जाए।

#### कदम 5: जमा करें

- निम्नलिखित दस्तावेज़ वन विभाग में जमा करें -
- मृत मवेशियों की तस्वीर उसके मालिक के साथ
  - मृत्यु प्रमाण पत्र
  - वन विभाग आवेदन

#### कदम 6 : प्रति सबूत

अपने आवेदन को जमा कराने के सबूत के तौर पर सभी दस्तावेज़ों की एक प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें।

अगर किसी कारण से मृत मवेशी की लाश जांच-पड़ताल के लिए या सबूत के तौर पर उपलब्ध नहीं है तो वन विभाग द्वारा राहत राशि उस स्थिति में नहीं दी जा सकती।

\*यदि जंगली जानवर के हमले में घायल मवेशी की बाद में मौत हो जाती है तो ऐसे जानवर की मौत के 7 दिन के अंदर एक नया प्रपत्र भरना होगा और सभी आवश्यक प्रक्रिया दोबारा दोहरानी होंगी।

### राहत राशि

| विवरण:                                            | राहत राशि:   |
|---------------------------------------------------|--------------|
| घोड़े, खच्चर, बैल, याक और ऊंट                     | RS. 30,000/- |
| जर्सी और क्रॉस ब्रीड गाय                          | RS. 15,000/- |
| गाय (स्थानीय नस्ल) गधे, चुरू, चुरी और पशमीना बकरी | RS. 6000/-   |
| भेड़, बकरी, सुअर                                  | RS. 3000/-   |
| इन सभी जानवरों के बच्चों                          | RS. 1500/-   |

### राहत राशि पाने की टिप्पणी

| कौन?                                                                     | किससे?                                                                | कब?                                                             | कहां?                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| मृत मवेशी के मालिक या उनके परिवार सदस्य को राहत राशि प्राप्त हो सकती है। | फॉरेस्ट गार्ड (वन विभाग), गांव के प्रधान और पशु चिकित्सक की सहायता से | पहली सूची हमले के ७ दिन के अंदर<br>आवेदन हमले के ३० दिन के अंदर | आवेदन घटना स्थल पे या आवेदक रहता हो |

वन विभाग केवल जंगली जानवरों द्वारा हुए हमले में मृत होने वाले मवेशियों के आवेदन को स्वीकार करता है।  
बीमारी या दुर्घटना के कारण जानवर मरा जाता है तो यह राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : +91 76500 02777